



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप वर्ष-2013 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2013 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 03.07.2013 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत मर्दननाका के रहने वाले अभियुक्त इस्माइल मंसूरी द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था । इस सम्बन्ध में पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर **मु0अ0सं0 398/13 धारा 376/506 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना **श्री रामश्रय यादव** द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । **लोक अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहरीर महिला आरक्षी अर्चना रानी व पुनीति भदौरिया तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त-

- 1. इस्माइल मंसूरी पुत्र नब्बी मंसूरी निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।**